



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2009/चैत्र 9, 1931

No. 543]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2009/CHAITRA 9, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

**का.आ. 880(अ)**—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से ( अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन ) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से ( अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन ) हटाना (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2009 है ।  
(2) यह 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होगा ।
2. आदेश संख्यांक का. आ. 2117(अ) तारीख 27 अगस्त, 2008 में, 1 अप्रैल, 2009 से उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे लोप से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,—
  - (i) पैरा 2 में "गेहूं और" शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ii) पैरा 3 में "गेहूं और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

**टिप्पण :—**मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सांख्यांक सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्तर्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008 और का.आ. 649(अ) तारीख 9 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 30th March, 2009

**S.O. 880(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :

1. This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2009.
2. In the Order number S.O. 2117(E), dated the 27th August, 2008,
  - (i) in para 2, the words “wheat and” shall be omitted;
  - (ii) in para 3, the words “wheat and” shall be omitted,

with effect from the 1st April, 2009, except as respect things done or omitted to be done before such omission.

[F. No. 10/1/2006-ECR&amp;E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

**Note:—** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended *vide* G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297 (E) dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400 (E) dated the 28th February, 2008, S.O.823(E) dated the 27th April, 2008, S.O.2117(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2247 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248 (E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249 (E) dated 22nd September, 2008 and S.O. 649(E) dated the 9th March, 2009.